

मध्य प्रदेश शासन  
गृह (पारपत्र) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3(ए)102/1996/ए-1/दो  
प्रति,

भोपाल दिनांक 28/1/2019

पुलिस अधीक्षक,  
जिला-भोपाल  
(मध्यप्रदेश)

विषय :- निवासवृद्धि-पाक नागरिको- श्रीमती रिशुलबाई पत्नी श्री नोतनम 2. श्री सहदेव पुत्र स्व. श्री नोतनमल निवासी जिला भोपाल।

संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित ज्ञापन क्रमांक जिविशा/भो/पाक/(एलटीवी-306) 2016 दिनांक 24.02.2016,31.07.2017,17.09.2015

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत पाक नागरिको श्रीमती रिशुलबाई पत्नी श्री नोतनम को दिनांक 06.09.2015 से 05.09.2017 तक एवं दिनांक 06.09.2017 से 05.09.2019 तक एवं 2. श्री सहदेव पुत्र स्व. श्री नोतनमल को दिनांक 09.08.2015 से 08.08.2017 तक अच्छे व्यवहार के आधार पर जिला भोपाल (म.प्र.) में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर0पी0 पृष्ठांकित किया जाकर, चेकपोस्ट को सूचना दी जाये। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।

नोट:-पाक नागरिक के दिनांक 16.08.2014 से 08.08.2015 तक के निवासवृद्धि प्रस्ताव अप्राप्त है।

(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 3(ए)102/1996/ए-1/दो  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक / /2019

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सुरक्षा) भोपाल, की ओर उनके पत्र क्रमांक विशा/15/पाक/2015,17-20 (536,1137,2776,) दिनांक 20.01.2016,18.08.2017,05.10.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2, आवेदिका श्रीमती रिशुलबाई पत्नी श्री नोतनम निवासी मं. नं. 27 साहारा परिसर ईदगाह हिल्स जिला भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 फोल्डर प्रति।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह(पारपत्र) विभाग

